


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/11/19

वकील वादी उफ। वकील वादीगण के अप्रार्थित की ललकी काशी समय से नही बुझाई है। इससे प्रतीत होता है कि वादी स्वयं फाफली में उर्मपाही करने हेतु इच्छुक नही है। अतः फाफली ललकी अन्वय में ही एक पड खानिद की गयी है। नका के फर हो।

आदेश सुनाना समाप्त।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सुरतगढ़

